विशिष्टताएं

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन संघ सरकार के लेखाओं पर है तथा वर्ष 2014-15 हेतु संघ सरकार के वित्त का विश्लेषण करता है। इसमें वर्ष 2014-15 के संघ सरकार के लेखाओं के संबंध में विनियोग लेखे का विश्लेषण तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां भी सम्मिलित की गई हैं।

अध्याय-1

- 2014-15 में संघ सरकार की वित्तीय स्थिति की विशिष्टता सकल राजस्व प्राप्तियों में 8.51 प्रतिशत की वृद्धि में रही जो प्रमुख रूप से पिछले वर्ष की अपेक्षा कर राजस्व प्राप्तियों (9.32 प्रतिशत) तथा गैर-कर राजस्व प्राप्तियों (6.18 प्रतिशत) दोंनों में पर्याप्त वृद्धि के कारण थी।

(पैरा 1.2, 1.2.3 एवं 1.2.4)

- राजस्व व्यय 2013-14 में 10.89 प्रतिशत के प्रति 2014-15 के दौरान 7.62 प्रतिशत से बढ़ गया। सहायता अनुदान, ब्याज भुगतान, पेंशन तथा रक्षा एवं रेलवे को मिला कर राजस्व व्यय, वर्ष 2014-15 के राजस्व व्यय का 90 प्रतिशत है।

(पैरा 1.3.2)

- पूंजीगत व्यय जी.डी.पी. का 1.71 प्रतिशत था, जो तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित राजकोषीय सुदृढ़ीकरण मार्ग में वर्ष के लिए निर्दिष्ट 4.5 प्रतिशत से काफी नीचे था। कुल पूंजीगत व्यय में से 38 प्रतिशत रक्षा पर किया गया था।

(पैरा 1.5.4 एवं 1.3.3)

- योजनागत व्यय के विश्लेषण ने प्रकट किया कि कुल योजनागत व्यय का 69 प्रतिशत सहायता अनुदान भुगतान के रूप में था। सबसे अधिक योजनागत व्यय कर रहे 10 मंत्रालयों/ विभागों में से चार में 98 प्रतिशत से अधिक व्यय सहायता अनुदान के संवितरण के रूप में था।

(पैरा 1.3.5 एवं 1.3.7)

- वर्ष 2014-15 का राजस्व घाटा 2013-14 में जीडीपी के 3.15 प्रतिशत के प्रति जीडीपी का 2.92 प्रतिशत था। जीडीपी के 2.92 प्रतिशत का राजस्व घाटा 2014-15 में प्राप्त किये जाने वाले जीडीपी के 0.50 प्रतिशत के राजस्व अधिशेष के विपरीत था, जैसा कि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा रेखंकित किया गया था। वर्ष 2014-15 का राजकोषीय घाटा 2013-14 में जीडीपी के 4.44 प्रतिशत के प्रति जीडीपी का 4.11 प्रतिशत था।

(पैरा 1.5.4)

अध्याय - 2

- ग्यारह मुख्य शीर्षों में उच्च अपारदर्शिता देखी गई थी जिनमें कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक लघु शीर्ष 800- अन्य व्यय के अन्तर्गत दर्ज किया गया था।

(पैरा 2.2.2)

- दूरसंचार विभाग ने वर्ष 2014-15 के दौरान सार्वभौमिक उपयोग उद्ग्रहण के प्रति ₹7537.88 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ निधि) को केवल ₹2,086.98 करोड़ का अंतरण किया जिसे कथित उद्देश्यों के प्रति आगे संवितरित किया गया। यू.एस.ओ निधि में शेष राशि के हस्तान्तरित न करने के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए यू.एस.ओ. निधि के अंत शेष को ₹5450.90 करोड़ तक कम बताया गया। 2002-03 से 2014-15 के दौरान यू.एस.ओ निधि के अंतशेष में कुल मिलाकर ₹39,133.76 करोड़ को कम बताया गया था।

(पैरा 2.3.1)

- 1996-97 से 2014-15 की अवधि के दौरान कुल ₹5,783.49 करोड़ का अनुसंधान तथा विकास उपकर संग्रहित किया गया था। इसमें से केवल ₹549.16 करोड़ (9.50 प्रतिशत) का उपयोग कथित उपकर के उद्ग्रहण के उद्देश्यों के प्रति किया गया था।

(पैरा 2.3.2)

- बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि (निधि) से प्राप्तियों से काफी अधिक मात्रा में व्यय होने के कारण वर्षों से निधि में शेष प्रतिकूल हो गया था। 2008-09 से 2014-15 की अवधि के दौरान निधि में प्रतिकूल शेष जारी रहा था, जो 2008-09 में (-) ₹ 53.51 करोड़ से 2014-15 में (-) ₹ 171.29 करोड़ तक लगातार बढ़ा।

(पैरा 2.3.3)

- सी.एफ.आई. में प्राथमिक शिक्षा उपकर के रूप में ₹1,54,818 करोड़ के कुल संग्रहण के प्रति भारत की समेकित निधि में ₹13,298 करोड़ की राशि का शेष छोड़ते हुए, 2004-05 से 2014-15 के दौरान चयनित योजनाओं पर व्यय को पूरा करने के लिए लोक लेखा में प्रारम्भिक शिक्षा कोष को केवल ₹1,41,520 करोड़ का अतंरण किया गया था।

(पैरा 2.3.4)

- केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कल्याण निधि से ₹3.91 करोड़ का अनियमित व्यय किया जो संबंधित निधि के सृजन के वित्तीय औचित्य के सिद्धांतो के अनुरूप नहीं था।

(पैरा 2.3.9)

अध्याय-3

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114(3) के प्रावधानों के अनुसार भारत की समेकित निधि (सी.एफ.आई.) से, विधि द्वारा किए गए विनियोजनों के अतरिक्त, कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी। तथापि, 2014-15 के दौरान सी.एफ.आई. के प्राधिकार से ₹16,201.33 करोड़ से अधिक के संवितरण किये गए सिविल मंत्रालयों/विभागों में आधिक्य तीन अनुदानों/विनियोगों के पांच खण्डों में ₹15,640.55 करोड़ था। रेल मंत्रालय में छः अनुदानों/विनियोगों के छः खंडों में ₹490.37 करोड़, रक्षा सेवाओं के एक अनुदान के एक खंड में ₹0.13 लाख, तथा डाक विभाग के एक अनुदान के एक खंड में ₹70.41 करोड़

सम्मिलित थे। इन अधिक संवितरणों को संविधान के अनुच्छेद 115(1) (ख) के अंतर्गत नियमन करने की आवश्यकता है।

(पैरा 3.4)

- 93 अनुदानों (सिविल, डाक, रेलवे तथा रक्षा सेवाएं सहित) के 122 मामलों में ₹100 करोड़ से अधिक की बचतें हुई जिनकी कुल धनराशि ₹5,80,970 करोड़ थी। जिन अनुदानों में बड़ी बचतें देखी गई वे थी - विनियोग- ऋण का पुनर्भुगतान (₹3,56,325 करोड़), विनियोग- ब्याज भुगतान (₹24,784 करोड़), वित्तीय सेवाएं विभाग (₹17,560 करोड़), स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (₹14,615 करोड़), राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण (₹13,403 करोड़)।

(पैरा 3.7 एवं अनुबंध 3.5)

अध्याय-4

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 (3) में यह व्यवस्था है कि भारत की समेकित निधि से विधि द्वारा किए गए विनियोजन के अतिरिक्त, कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान संसद के अनुमोदन के बिना प्रतिदायों के ब्याज पर ₹5,332 करोड़ का व्यय किया। पिछले सात वर्षो से आवश्यक विनियोजनों के माध्यम से संसद से अनुमोदन प्राप्त किए बिना ब्याज भुगतानों पर ₹48,235 करोड़ का व्यय लोक लेखा समिति ने अपनी 66वीं एवं 96वीं प्रतिवेदन में सिफारिश के बावजूद किया गया था।

(पैरा 4.2)

- भारत की समेकित निधि से किसी निकाय अथवा प्राधिकरण को पुनर्विनियोजन द्वारा 'सहायता अनुदान' के प्रावधान का आवर्धन केवल संसद की पूर्वानुमति से ही किया जा सकता है। चार अनुदानों के पांच मामलों में, 2014-15 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा बिना संसदीय पूर्वानुमति प्राप्त किए विभिन्न निकायों/ प्राधिकरणों को वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अन्तर्गत प्रावधान का आवर्धन करके ₹60.25 करोड़ का व्यय किया गया था। इसी प्रकार, दो

अनुदानों के नौ मामलों में, ₹144.72 करोड़ का वर्तमान प्रावधानों के उल्लंघन में बिना संसदीय पुर्वानुमति के वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों' का आवर्धन किया गया था। इसके अतिरिक्त, दो अनुदानों के तीन मामलों में कुल ₹8.29 करोड़ की निधियों का संसद की पूर्वानुमति के बिना वस्तु शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' में आवर्धन किया गया था। इन सभी अधिक व्ययों ने नई सेवा/सेवा के नए साधन (एन एस/एन आई एस) की सीमाओं का उल्लंघन किया।

(पैरा 4.5.1, 4.5.2 तथा 4.5.3)

- वस्तु शीर्ष *'सब्सिडी'* में पुनर्विनियोजन द्वारा वर्तमान विनियोगों में प्रावधान के आवर्धन हेतु संसद की पूर्वानुमति आवश्यक होती हैं यदि अतिरिक्तता संसद द्वारा पहले से दत्तमत विनियोग के 10 प्रतिशत अथवा ₹10 करोड़, जो भी कम हो, से अधिक हो। दो अनुदानों के चार मामलों में संसदीय पूर्वानुमति लिए बिना एन एस/ एन आई एस की सीमाओं का उल्लंघन कर वस्तु शीर्ष सब्सिडी में ₹202.04 करोड़ का संवर्धन किया गया था।

(पैरा 4.5.4)

- वस्तु शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' तथा '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अन्तर्गत एन एस/ एन आई एस के सभी मामलों के संबंध में ₹2.5 करोड़ से अधिक या पहले से दत्तमत विनियोग के 10 प्रतिशत दोनों में जो कम हो, से अधिक के आर्वधन से संबंधित सभी मामलों में संसद की पूर्वानुमति अपेक्षित होगी चाहे आवर्धन नये निर्माण कार्यों हेतु हों अथवा वर्तमान निर्माण कार्यों हेतु हों। तीन अनुदानों के छः मामलों में, 2014-15 के दौरान संसदीय पूर्वानुमति के बिना मंत्रालयों/विभागों द्वारा इन वस्तु शीर्षों के अन्तर्गत प्रावधान को आवर्धन द्वारा ₹41.12 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था। इस अधिक व्यय ने नई सेवा/सेवा के नए साधन की सीमाओं का उल्लंघन किया था।

(पैरा 4.5.5)

- विभिन्न विभागों/मंत्रालयों ने राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में तथा प्रतिक्रम में गलत वर्गीकरण किया। गलत वर्गीकरण का परिणाम ₹748.43 करोड़ तक पूंजीगत व्यय के अतिकथन तथा ₹522.67 करोड़ तक पूंजीगत व्यय कम बताए जाने में हुआ। सरकारी व्यय पर समग्र प्रभाव ₹225.76 करोड़ के पूंजीगत व्यय का अधिक बताये जाने में हुआ।

(पैरा 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 तथा 4.6.4)

- वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 छठी श्रेणी अर्थात् वस्तु शीर्ष तक व्यय के वर्गीकरण के उद्देश्य हेतु विवरणों/परिभाषाओं सहित विनियोग की मानक प्राथमिक इकाईयॉ निर्धारित करता है। 19 अनुदानों/ विनियोगों के 27 मामलों में, ₹2954.65 करोड़ का कुल व्यय विनियोग की कई प्राथमिक इकाईयों में गलत वर्गीकृत किया गया था।

(पैरा 4.7.3)

अध्याय-5

- ऋण पुनर्भुगतान का अपवाद छोड़कर संघ सरकार के व्यय की एकमात्र सबसे बड़ी मद के रूप में सहायता अनुदान 2014-15 के दौरान संघ संरकार के कुल राजस्व व्यय का लगभग 28 प्रतिशत से अधिक बना रहा।

(पैरा 5.1 तथा 5.2)

- यह सत्यापन करने के लिए कि धन उसी प्रयोजन हेतु उपयोग किया गया है जिसके लिए यह दिया गया था, मंत्रालयों के लिए उपयोग प्रमाण पत्र (यू.सी.) एकमात्र तंत्र है। 26 मंत्रालयों/ विभागों में ₹51,527.10 करोड़ की राशि के 37,569 यू सी बकाया थे जो संबंधित मंत्रालयों/ विभागों में दोषपूर्ण निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई तंत्र को दर्शाता है।

(पैरा 5.4)

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी अनुदान सहायता पर व्यय के विस्तृत विश्लेषण द्वारा दोषपूर्ण नियंत्रण तंत्र और किए गए व्यय की गुणवत्ता के संबंध में अपर्याप्त आश्वासन का पता चला।

(पैरा 5.5)